


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अ अधिकारी (ASHOKNAGAR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 46309207A3525
प्रति,

दिनांक:- 04.03.2017

प्रबंधक,

(SANSKRUTI-AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

व्यय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -SANSKRUTI-AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Punjabi Colony Ward 22 / PAWAR GARH, ASHOKNAGAR को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक कालावध के लए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लखत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी-

- मान्यता वस्तुतः नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई वाच्यता कसी भी रूप में व्यक्त नही होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अ धनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के व घट समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वाच्य आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वाच्य आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है। किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वशर्त कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को प्रत्येक वर्ष खाता उपलब्ध कराया जाएगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कैप्टेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ कसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सूक्त के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तुतः कालावध के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - कसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोक या तिष्का मत नहीं किया जाएगा;
 - कसी बालक को धारीक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/प्रवेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; वशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अ धनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टी चंग की गति व धर्यों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/संगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यधर्यों का अनुसरण करेगा।
- अ धनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]


- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	222500	32000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	12000	12000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000	2000

अधिसंरचना का ववरण						
	कक्षा	Rooms as	पोर्टल में दर्जे		वास्तविक स्थिति	
		per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		41	300	41	300
2	कार्यालय कक्षा-सह-अण्डार कक्षा-सह-पधानाध्यक्षक कक्षा		8	250	8	250
3	भोजनालय-सह-अण्डार		0	0	0	0

घ.		अन्य सुविधाएँ	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1		क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हा/नहीं	हाँ	हाँ
2		पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3		खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4		पुस्तकों की संख्या	3000	3000
5		पत्रिकाएं/समाचार पत्र	10	10
6		पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7		पेयजल सुविधा की संख्या	2	2
8		शौचालय का प्रकार (भारतीय/अधिमो/महिला)	Indian	Indian
9		लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10		लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
11		प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12		क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हा/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..46309207.. एवं आईसकोड (DISE) 23460207241 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएंगे।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कर्मियों को दूर करने के लिए अध्याय मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- सोसायटी/स्थापना, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपाबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्द हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला ASHOKNAGAR मध्यप्रदेश